न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 48/2018

अपीलार्थी–	***बनाम***	**रेस्पोडेंट –**
शिवजीराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी दरूडा तहसील व जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.03.2018 जो प्रकरण सं. 64/2017 सरकार बनाम शिवजीराम में नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री गणेश कुमार, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 04/01/2021

1. अपीलार्थी की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेंट नायब तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा प्रकरण सं. 64/2017 मे पारित आदेश दिनांक 20.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का मारूडी ने दिनांक 04.10.2017 को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दरूडा के खसरा नम्बर 0/[illegible] रकबा 58–02 बीघा गैर मुमकीन आगोर की भूमि में से 00–03 बीघा भूमि पर गैर सायल शिवजीराम द्वारा अतिक्रमण कर मकान निर्माण द्वारा कब्जा किया गया, जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। इस पर रेस्पोडेंट नायब तहसीलदार बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 16:01:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा गैर सायलान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया तथा मौका कब्जा की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल (अपीलांट) को गैर मुमकीन आगोर की भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.10.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांर्थी की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन रेकर्ड मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा दरूडा की सकल आबादी विवादित भूमि पर बसी हुई है जो पीढियों से अपीलार्थी का आवासीय मकान बना हुआ है, जिसमे अपीलार्थी का परिवार पिछले 40 वर्षो से निवास कर रहा है। अपीलांट द्वारा वर्तमान में कोई नया कब्जा नहीं किया गया है। अपीलांट के पुराने कब्जा के आधार पर मकान का पट्टा जारी करवाने हेतु अपीलांट ने ग्राम पंचायत मारूडी में आवेदन पेश किया गया जिसके संलग्न प्रार्थना–पत्र शुल्क, निरीक्षण शुल्क, नक्शा शुल्क इत्यादि जमा कर रसीदें प्रस्तुत की गई। इस प्रकार अपीलांट का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा है एवं इसे आबादी में परिवर्तन कर पट्टा जारी करने हेतु प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर लंबित है। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त प्रकरण निस्तारण करने से पूर्व किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं लिया गया है तथा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित होने की जानकारी अपीलार्थी को तत्समय नही हुई तथा जब हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी के आवासीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:01:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

मकान को गिराने की धमकी दी तब तहसील कार्यालय बाड़मेर जाकर अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई तथा प्रतिलिपि प्राप्त होने तथा जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की जा रही है जो उल्लेखित तथ्यों के आधार पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

5. रेस्पोडेंट नायब तहसीलदार बाड़मेर की ओर से राजकीय अभिभाषक ने प्रकट किया कि अपीलार्थी के द्वारा ग्राम दरूडा के खसरा नम्बर 390/264 रकबा 58—02 बीघा गैर मुमकीन आगोर की प्रतिबन्धित किस्म की भूमि मे से 00—03 बीघा पर अतिक्रमण कर आवासीय मकान निर्माण किये जाने पर हल्का पटवारी मारूडी की रिपोर्ट पर अतिक्रमण को हटाने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जो किसी भी दशा मे गैर कानूनी एवं विधि विरूद्ध नही है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बाद उसकी ओर से अधिवक्ता की उपस्थिति मे विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। इस आदेश मे किसी प्रकार की कोई कानूनी या वाक्याती भूल नही होने एवं प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है जो खारिज फरमाई जावें।

6. हमने दोनो पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि पटवारी हल्का मारूडी ने दिनांक 04.10.2017 को धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दरूडा के खसरा नम्बर 390/264 रकबा 58—02 गैर मुमकीन आगोर की भूमि मे से 00—03 बीघा पर गैर सायल शिवजीराम द्वारा अतिक्रमण कर मकान निर्माण किया गया है, जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। इस पर रेस्पोडेंट नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा गैर सायल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया तथा दोनो पक्षों की सुनवाई एवं मौका कब्जा की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 16:01:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

पर गैर सायल (अपीलांट) को गैर मुमकीन आगोर की भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य आधार यह है कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नही किया गया तथा बिना साक्ष्य सबूत रेकर्ड पर लिये ही बेदखली का आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलार्थी का परिवार 40 वर्षो से निवास कर रहा है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट मात्र के आधार पर ही अपीलार्थी को अतिक्रमी मान लिया गया है तथा बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के संलग्न न तो विवादित भूमि की जमाबंदी की प्रतिलिपि संलग्न की गई है और न ही नक्शा मौका पेश किया गया है जिससे यह साबित हो कि अपीलार्थी का कब्जा किस लोकेशन में एवं खसरा में आया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये हैं किन्तु उन्हें जवाब का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी मौके की वस्तुस्थिति के बारे में भी कोई जांच या रिपोर्ट नहीं ली गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि उनका पीढ़ियों से इस भूमि पर निवास है तथा मुतनाजा कब्जा नया नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी के आवासीय कब्जा की अवस्थिति के बारे मे भूमि की पैमाईश कर ग्राम की आबादी भूमि का सीमाज्ञान करने के बाद मौके पर अपीलार्थी के कब्जे के बारे पूर्ण रूप से सुनिश्चितता करने के बाद बेदखली का आदेश पारित किया जाना चाहिए। इस अपील [illegible] के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया [illegible] पंचायत द्वारा आबादी हेतु प्रस्तावित कर रखी है एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन आगोर नहीं है। ऐसे मे बिना पैमाईश किये, मौके पर अतिक्रमण की अवस्थिति राजस्व नजरी नक्शे मे दर्शाये एवं अपीलार्थी को साक्ष्य–सबूत एवं सुनवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:01:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

का अवसर प्रदान किये बिना अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश विधि सम्मत नही होने से, अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 को बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 आपास्त किया किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौके पर पैमाईश करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद विधि सम्मत आदेश नये सिरे से पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:01:13 IST
Reason: SelfAttested